प्रेस विज्ञप्ति
18/06/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (बीआईआईपीएल) व इसके निदेशक सर्तिंदर सिंह भसीन के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 27.01 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति डी-24, राजौरी गार्डन, पश्चिमी दिल्ली में स्थित एक स्वतंत्र आवासीय घर है, जो मामले के मुख्य आरोपी सर्तिंदर सिंह भसीन के नाम पर है। 09.06.2015 (एफआईआर की तारीख) को निर्धारित उक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 27.01 करोड़ रुपये था। संपत्ति का वर्तमान मूल्य 44.06 करोड़ है।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस (नोएडा) द्वारा भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ग्रैंड वेनिस ग्रुप की संस्थाओं, सर्तिंदर सिंह भसीन, क्रिंसी भसीन व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्तियों ने वाणिज्यिक इकाइयों की समय पर डिलीवरी का वादा करके रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये एकत्र किए, जो कभी पूरे नहीं हुए या सौंपे नहीं गए।

ईडी की जांच से पता चला है कि जनता से एकत्र किए गए धन को वादा किए गए प्रोजेक्ट के निर्माण और विकास के लिए इस्तेमाल करने के बजाय समूह कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं के जाल के माध्यम से विपथित और नष्ट कर दिया गया था। इन कंपनियों को सर्तिंदर सिंह भसीन, हरप्रीत सिंह छाबड़ा, अजय धवन द्वारा नियंत्रित किया गया था। जांच में पाया गया कि अपराध की आय (पीओसी) को कई इकाइयों में रखा गया था और कोई प्रत्यक्ष संपत्ति का पता नहीं लगाया जा सका। तदनुसार, सर्तिंदर सिंह भसीन की आवासीय संपत्ति को अब पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया गया है।

ईडी ने इससे पहले 10.04.2025 को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दिल्ली, नोएडा और गोवा में 09 स्थानों पर मेसर्स भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ग्रैंड वेनेज़िया कमर्शियल टावर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमुख कर्मियों के परिसरों में तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अपराध-संकेती जानकारी, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए और उन्हें जब्त किया गया। इसके अलावा 36 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई और कई संदिग्ध बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

आगे की जांच जारी है।